

ऑरिजन - उपपान्त आई डी. नं. 12/09

दिनांक

आज्ञा पत्र

17-1-18

म/ध

द्वार-द्वार आवाज दिलाई गई। अपीलकर्ता एवं अपीलकर्ता के वकील कोई हाजिर नहीं आए। अतः अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी सम्बन्धित होने से अपील रकारिज की जाती है। पत्रावली सादर तारतीय तकमील द्वारा वल दस्तावेजों।  
निर्णय सुनाया गया



सुप्रथम अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अधिकारी  
राजस्व

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official